


VS-322

दुर्घटना की जानकारी

क्र	दुर्घटना दिनांक एवं समय	मृतक श्रमिक का नाम	की गई कार्यवाही
1.	31/03/2023 सायं 04:45 बजे	श्री अजय सिंह उम्र 29 वर्ष	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 44 सपठित नियम 5, नियम 179, नियम 178 एवं नियम 171 के उल्लंघनों हेतु प्रकरण क्रमांक RCT/500/2024 सक्षम न्यायालय छिदवाड़ा में दायर किया गया है। जो प्रचलन में है।
2.	10/01/2026 सायं 05:00 बजे	श्री धनराज गुजवार उम्र 64 वर्ष	1. कारखाना अधिनियम की धारा 1948 की धारा 7A (2) (C), धारा 21 एवं मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली 1962 के नियम 73 E के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वैधानिक कार्यवाही प्रचलन में है। 2. म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1961 के तहत 64 वर्ष के व्यक्ति को काम पर रखने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगामी कार्यवाही प्रचलन में है।



2108
अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन,
श्रम विभाग